सूचना का अधिकार के अंतर्गत
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर में अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण क्रमांक 19/2020 दिनांक 01.07.2020

O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 4020
Date 08 DEC 2020
AGM (IT)
SE (O)/SE Web
EE ....
Section..........

श्री त्रिभुवन दास
रिसाली, भिलाई, दुर्ग
अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर
प्रतिअपीलार्थी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 27/11/2020 को पारित)

09/12/2020

अपीलार्थी श्री त्रिभुवन दास, भिलाई की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे पंजीयन क्रमांक 19/2020 दिनांक 01.07.2020 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि छ0 ग0 शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के माध्यम से अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 14.03.2020 धारा 6(3) के तहत अंतरित प्रकरण के तहत इस कार्यालय में दिनांक 19.03.2020 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन में अपीलार्थी द्वारा बिन्दुवार निम्न जानकारी चाही गई है :—

(अ) छ.ग. ऊर्जा विभाग में शासकीय सेवकों की कुल अनुमोदित पद संख्या कितने है जिसमें अनारक्षित, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनिधित्व यानि क्लास–एक तथा क्लास–एक के पदों से क्लास –एक के उच्च वेतनमान के पदों में क्लास –दो क्लास– तीन, एवं क्लास–चार में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है उनकी पदनाम सहित पदसंख्या अलग–अलग।

(ब) छ.ग. ऊर्जा विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शासकीय सेवकों के पदोन्नति में आरक्षण क्रमशः 13 प्रतिशत एवं 32 प्रतिशत का लाभ नियमानुसार दिया जा रहा है या नही , यदि नही तो कारण उल्लेखित करें एवं कितने पद रिक्त है एवं उसकी प्रतिशत क्या है।

(स) छ.ग. ऊर्जा विभाग में नियमित पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शासकीय सेवकों को दिनांक 09.12.2019 के बाद वरिष्ठता कम में कितनी पदोन्नति दी गई है।

(3) सूचना पत्र क्रमांक 1691 दिनांक 09.07.2020 के माध्यम से अपील की सुनवाई दिनांक 29.07.2020 को निर्धारित कर, प्रतिअपीलार्थी एवं अपीलार्थी को सूचित किया गया। दिनांक 22.07.2020 से 28.07.2020 एवं तद्पश्चात् दिनांक 29.07.2020 से 06.08.2020 तक COVID -19 संक्रमण के दृष्टिगत छ.ग. शासन द्वारा जारी लॉकडाउन के कारण निर्धारित तिथि को अपील की सुनवाई नही की जा सकी। अतः अपील की अगामी सुनवाई दिनांक 09.09.2020 को निर्धारित किया गया।

निर्धारित तिथि के संबंध में अपीलार्थी द्वारा दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया कि वे COVID -19 संक्रमण से ग्रसित है अतः अपील सुनवाई में उपस्थित नही हो सकते है। अतएव सुनवाई का पृथक अवसर प्रदान करें। अपील की सुनवाई दिनांक 11.11.2020 को शामः 4:00 बजे निर्धारित की गई।

नियत तिथि दिनांक 11.11.2020 को छ.ग. बिजली कर्मचारी संघ–महासंघ के साथ बैठक आयोजित होने के कारण प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही किया जाना संभव नही था। जिसकी सूचना अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से दिया गया है।

अपील की अगली सुनवाई दिनांक 24.11.2020 को निर्धारित किया गया। उक्त सुनवाई में अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि कंडिका 02/–टीप में आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संबंधित प्रभाग के (**DPIO**) द्वारा कुल 35 पृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई। तत्पश्चात् आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 121 दिनांक 08.05.2020 के माध्यम से धारा 7(1) के तहत् कुल 35 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज हेतु रूपये 70/–मात्र का अभिलेख शुल्क का भुगतान कर दस्तावेज प्राप्त करने बाबत् अवगत कराया गया है। आवेदक द्वारा उक्त शुल्क का भुगतान कार्यालय में उपस्थित होकर नगद के माध्यम से किया गया। तद्पश्चात् आवेदक को पत्र क्रमांक 1397 दिनांक 08.06.2020 के माध्यम से कुल 35 पृष्ठों की दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है।

(5) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का तर्क कि उनके द्वारा छ.ग.स्टे.पा.हो.कं.लिमि. में कार्यरत कुल अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की संख्या की जानकारी मांगी थी बल्कि जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गई उक्त जानकारी अनावश्यक है और सिर्फ पदोन्नति से संबंधित है। और उसमें अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की अद्यतन संख्या कोई जानकारी नही है। अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अत्यंत भ्रामक है।

(iii) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का तर्क की आवेदक द्वारा पूर्व आवेदन दिनांक 14.03.2020 के प्रश्न अस्पष्ट थे, अपितु आवेदन में चाही गई बिन्दुवार जानकारी के परिप्रेक्ष्य में आवेदक को जो जानकारी उपलब्ध करायी गई है के दृष्टिगत उनके द्वारा केवल बिन्दु क्रमांक 01 के संदर्भ में ही प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है। जिसके अवलोकन से विदित होता है कि पूर्व

दन दिनांक 14.03.2020 एवं प्रथम अपील आवेदन दिनांक 29.06.2020 के विषयवस्तु में विभिन्नतः है। अतः आवेदक द्वारा उक्त बिन्दु में पूर्व में कुछ अन्य जानकारी चाही गई है तथा प्रथम अपील में कुछ अन्य विषयवस्तु का उल्लेख किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चाही गई जानकारी के पूर्व आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन के विषयवस्तु में भिन्नताः नही होना चाहिए।

(iV) संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक का पक्ष कथन कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी जो कि पूर्ण रूप से स्पष्ट नही था। यद्यपि फिर भी विषयवस्तु को ध्यान में रखकर विवेक के आधार पर बिन्दु क्रमांक 01 की जानकारी/दस्तावेज आवेदक को उपलब्ध करायी गई है। अतः आवेदक का यह कथन कि उन्हे निरर्थक और विषयवस्तु से हटकर जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है, जो तर्कसंगत नही है। तथापि बिन्दु क्रमांक 02 की जानकारी जो प्रश्नवाचक है। अतः भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन 01/07/2009–आई–आर दिनांक 01.06.2009 में दिये गये तथ्यों के अनुसार जिज्ञासा प्रश्न का जवाब देने की अपेक्षा नही है। एवं बिन्दु क्रमांक 03 की जानकारी इस कार्यालय में संधारित नही की जाती है। अतएव पावर कंपनी में दिनांक 09.12.2019 के बाद पदोन्नत अधिकारियों की आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गई है।

(V) अपीलार्थी का कथन कि उन्हे केवल छ.ग.स्टे.पा.हो.कं.लिमि. में कुल कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में अनारक्षित, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति की संख्या की जानकारी उपलब्ध करायी जावे।

(VI) संबंधित प्रभाग के (DPIO) द्वारा अपीलार्थी को कंड़िका 05/–टीप के पैरा (v) में चाही गई जानकारी का 01 पृष्ठ में अवलोकन कराया गया। जिससे अपीलार्थी संतुष्ठ हुए। अतः उनके द्वारा उक्त दस्तावेज की मांग की गई।

(6) जैसा कि अपील पर निर्णय करना एक अर्धन्यायिक कार्य है। अतएव यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नही, बल्कि वह होते हुए भी दिखाई दे।

इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 04/–टीप में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही स्वीकार योग्य है। तथा कंडिका 05/–टीप के पैरा (iii) एवं (VI) में दिये गये तर्क न्यायसंगत है, जो अपीलार्थी के शंका के समाधान हेतु प्रर्याप्त परिलक्षित होते है।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत जहाँ तक अपीलार्थी की अपील का प्रश्न है, कंड़िका 05/–टीप के पैरा (vi) को स्वीकार्य करते हुए, अपीलार्थी को उक्त जानकारी/दस्तावेज 01 पृष्ठों में अपील आदेश के साथ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

परिणामतः दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 19/2020 दिनांक 01.07.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

27/11/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574700

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –19/2020/ 76 रायपुर, दिनांक 27/11/2020

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) **श्री त्रिभुवन दास अधिवक्ता, 4/16 इस्पात नगर, रिसाली, भिलाई, जिला– दुर्ग (छ.ग.) पिन– 490006 को 02 पृष्ठों की जानकारी संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित।**

(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
पिन – 492002

27/11/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर – 492013, (छ.ग.)
दूरभाष – 2574700, फैक्स – 0771-2574157, वेबसाईट : www.cspc.co.in, ईमेल : hr.csphcl@cspc.co.in